



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर (तह. मालपुरा जिला टोंक) वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304 501
ICAR - Central Sheep and Wool Research Institute
Avikanagar (The. Malpura, Dist. Tonk) via Jaipur, Rajasthan (India) 304 501



फोन 01437-220141

फैक्स न. 01437-220163

ई-मेल: navin.yadav@icar.gov.in

मि.सं./ हिन्दी प्रोत्साहन योजना/17/

दिनांक : 27/06/2019

परिपत्र

दिनांक 30 मई 2019 के उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1(दिल्ली), राजभाषा विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 19/मु.नि/पत्राचार/2019-उ.क्षे.का.का.-1(दि.) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु "राजभाषा गौरव" पुरस्कार योजना में भाग लेने हेतु लेख आमंत्रित किये गये हैं।

योजना से संबंधित नियम व शर्तें राजभाषा विभाग(पत्रिका एकक) के दिनांक 7 मई 2019 के कार्यालय ज्ञापन (संलग्न) में दी गई हैं। इच्छुक लेखक गृह पत्रिका में प्रकाशित लेख की प्रति के साथ लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के भीतर भिजवाने का श्रम करें।

(नवीन कुमार यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रति:-

1. के भे ऊ अनु संस्थान, अविकानगर के समस्त प्रभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी।
2. निदेशक के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी शु अनु के बीकानेर, उ शी अनु के गड़सा, द क्षे अनु केन्द्र मन्वनूर।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी।
6. प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबंध इकाई को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

नोट: उक्त परिपत्र की भौतिक प्रति वितरित नहीं की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो उक्त परिपत्र संस्थान वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (DEPTT. OF O.L.)

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1(दिल्ली)

NORTHERN REGIONAL IMPLEMENTATION OFFICE-1 (DELHI)

ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023, दूरभाष सं.-011-24674674, 26110806

A-149, SAROJINI NAGAR, NEW DELHI-110023, TELEPHONE NO. 011-24674674, 26110806

ई-मेल/E-mail:-ddriodel-dol@nic.in

19/मु.नि/पत्राचार/2019-उ.क्षे.का.का.-1(दि.)

दिनांक : 3 मई, 2019

सेवा में,

सभी नराकास अध्यक्ष

विषय : केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रकाशित
उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु "राजभाषा गौरव" पुरस्कार योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के पत्र सं.11014/02/2019-रा.भा.(प.)
दिनांक 7 मई, 2019 का अवलोकन करें (प्रति संलग्न है)।

2. कृपया उक्त पत्र की प्रति नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों में परिचित करवाने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शर्मा)

उप निदेशक (का0)

मो0 7838758761

गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग
(पत्रिका एकक)

एन डी सी सी - II भवन, चौथा तल, बी विंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 7 मई, 2019

कार्यालय जापन

विषय:- केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह-पत्रिकाओं में वितीय वर्ष 2018-19 में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

केंद्र की नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना से बढ़ाया जाना है । इस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाती हैं । विभाग की प्रमुख योजनाओं के तहत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार दिए जाते हैं । राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 25 मार्च, 2015, के संकल्प सं. 11034/48/2014 रा.भा. (नीति) एवं समय-समय पर जारी संशोधन के अनुपालन में केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गृह-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

2. योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए आवधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। केंद्र सरकार के कर्मिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मिकों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि राजभाषा में लेख लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित किया जा सके और पाठकों को अच्छे लेख पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकें।

3. उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना में भाग लेने हेतु पात्रता

(क) केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक।

(ख) उक्त लेख किसी भी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/द्वैकों की गृह-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष 2018-19 (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) में प्रकाशित होने चाहिए।

(ग) हिंदी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो।

(घ) हिंदीतर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में स्थित हो।

4. नियम व शर्तें :

(क) इस पुरस्कार योजना में एक लेखक के अधिकतम दो लेख ही शामिल किए जायेंगे। किसी लेखक के दो से अधिक लेख प्राप्त होने की स्थिति में विभाग को प्राप्त होने वाले प्रथम दो लेखों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य लेख स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे।

(ख) लेख की फोटोकॉपी के साथ मूल पत्रिका का होना अनिवार्य है अन्यथा लेख, पुरस्कार योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ग) लेख के साथ लेख की मौलिकता का प्रमाण पत्र लेखक द्वारा देना आवश्यक होगा।

(घ) सेवानिवृत्त कार्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात लगाना अनिवार्य है।

5. पुरस्कार

विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित नकद पुरस्कार के साथ-साथ स्मृति चिह्न एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

हिंदी भाषी

प्रथम पुरस्कार	-	20,000/-रु.
द्वितीय पुरस्कार	-	18,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार	-	15,000/- रु.

हिंदीतर भाषी

प्रथम पुरस्कार	-	25,000/- रु.
द्वितीय पुरस्कार	-	22,000/- रु.
तृतीय पुरस्कार	-	20,000/- रु.


6. मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर दो लेखों का चयन करेगा। मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को अनुलग्नक 'क' में दिए गए प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे। राजभाषा विभाग मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त लेखों को लेख मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवा कर हिंदी व हिंदीतर भाषियों के लिए तीन-तीन पुरस्कारों का चयन करेगा।

7. पुरस्कार विजेता के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा कर दिया जाएगा।

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में छपे लेखों में से, पैरा 6 में दी गई चयन मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा चयनित लेख दिनांक 17 जून, 2019 (सायं. 5 बजे) तक उप सचिव (पत्रिका), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी -II बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 पर सील बंद लिफाफे जिसपर "उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2018-19" लिखा हो, प्राप्त हो जाने चाहिए।

9. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना का अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक रूप में परिचालित करें।


7/5/2019

(श्रीमती राजबाला सिंह)

उप सचिव (पत्रिका)

011-23438018

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
10. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली
11. नीति आयोग, नई दिल्ली
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34 कोटला रोड, नई दिल्ली
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक
18. निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग- अनुरोध है कि ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
19. राजभाषा विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय ।

उत्कृष्ट लेखों के लिये राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना 2018- 19

चेक लिस्ट

क्र. सं.	सम्मिलित कागजात की सूची	हाँ	नहीं
1	केंद्र सरकार के कार्यरत		
2	सेवानिवृत्त कर्मिक		
3	सेवानिवृत्त कर्मिक के संदर्भ में सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या इससे संबंधित कागजात		
4	लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष (2018-19) (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) में प्रकाशित		
5	पूर्ण रूप से भरा हुआ अनुलग्नक 'क'		
6	हिंदी भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में हो, से संबंधित प्रमाण पत्र		
7	हिंदीतर भाषी लेखक जिनका घोषित निवास स्थान 'ग' क्षेत्र में हो, से संबंधित प्रमाण पत्र ।		
8	पुरस्कार योजना में भेजे जानेवाले लेख प्रकाशित लेख (अधिकतम दो) की फोटोकॉपी		
9	मूल पत्रिका जिसमें लेख प्रकाशित हुए हैं		
10	लेख की मॉलिकता का प्रमाण पत्र		

हस्ताक्षर

कार्यालय का नाम

(अनुलग्नक 'क')

क्रम सं.	नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी में)	पदनाम	आधारकार्ड नंबर	श्रेणी (हिंदी भाषी/ हिंदीतर भाषी)	कार्यालय का पता	लेख का विषय	पत्रिका का नाम	पत्रिका का अंक	संपर्क सूत्र : फोन, मोबाइल, ई मेल आदि	टिप्पणी
1.										
2.										

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम
दूरभाष नं./मोबाइल नं.